

28/12/88

कुलाप फाल्कोन डिपॉजिट !
 स्पष्टता डार्थना - पत्र पर कल्ल
 सुनी गइली पाठावली व रेकॉर्ड का
 इवलोकन किया गया। इस
 बाद प्राथमिक रूप से स्वीकार
 कर तहसीलदार से विभाजन
 प्राप्त तलाक किया हुआ है।
 वर्तमान में स्पष्टता कादेश पोषणीय
 होने से विहित किया
 जाता है। तलाक की मंजूरी
 फुलर होकर हाकिम दरियर हो।
 एम.के